FORM NO. III

(c)

फर्द अहकाम 2022/137

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

गांगीलाल बनाम लक्ष्मीलाल

किस्म मुकद्दमा 128 R.L.Act नं. 100/2022 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही का संक्षिप्त सार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/5/22	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा गांगीपुर ग्राम गांगीपुर की आ.न.1612, 1672, 1673, 1734, 1738, 1739, 2012/1519, 2013/1733 रकबा 0.92 हे० की विभिन्न आराजियात की पत्थरगढी विपक्षीगणा की मौजुदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीशनरी फिस रूपये 2000/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.06.23 11:42:23 IST
Reason: SelfAttested